Annexure - 1

(37)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2009/माघ 13, 1930
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2009/MAGHA 13, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2009

का.आ. 389(अ)—यतः मै. फ्रन्टियर लाइफलाइन प्रा. लिमिटेड, जो तमिलनाडु राज्य का पूर्ण निजी संगठन है, ने तमिलनाडु राज्य में गुम्मुडिपुंडी तालुक की एदूर ग्राम सीमा, जिला तिरूवल्लूर में जैव प्रौद्योगिकी हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने तमिलनाडु राज्य में गुम्मुडिपुंडी तालुक की एदूर ग्राम सीमा, जिला तिरूवल्लूर में जैव प्रौद्योगिकी हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में गुम्मुडिपुंडी तालुक की एदूर ग्राम सीमा, जिला तिरूवल्लूर में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्रम सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)
1.	292/1	0.44.0
2.	292/2	1.23.5
3.	292/4	0.94.0
4.	292/5	0.38.0
5.	292/6	0.25.5
6.	293/2	1.03.0
7.	293/3	0.64.5
8.	294/1	1.92.5
9.	294/2	0.50.5
10.	294/3	0.49.0
11.	294/5	0.47.0
12.	295/4डी	0.47.5
13.	295/5 सी	0.24.0
14.	295/6	1.76.5
15.	299/1	0.87.0
16.	299/2	0.32.5
17.	299/4ए	0.56.0
18.	299/4बी	0.35.0
19.	299/5	0.31.0

(1)	(2)	(3)
20.	296/10ए	0.10.0
21.	296/10बी	0.15.0
22.	296/10सी	0.13.5
23.	296/10डी	0.28.0
24.	298/2	1.03.0
25.	298/3	1.37.5
26.	298/4	0.11.0
27.	298/5	0.24.0
	कुल	16.63

[फा. सं. 1/55/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2009

S.O. 389(E).—Whereas M/s. Frontier Lifeline Private Limited, a fully Private Organization in the State of Tamil Nadu, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology sector within the village limits of Edur of Gummudipundi Taluk in the District of Thirruvallur in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for Biotechnology sector within the village limits of Edur of Gummudipundi Taluk in the District of Thirruvallur in the State of Tamil Nadu on the 28th day of November, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones, Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area within the village limits of Edur of Gummudipundi Taluk in the District of Thirruvallur in the State of Tamil Nadu, comprising of the survey numbers and the respective area in hectares given in the table below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Serial number	Khasra number	Area in hectares
(1)	(2)	(3)
1.	292/1	0.44.0
2.	292/2	1.23.5
3.	292/4	0.94.0
4.	292/5	0.38.0
5.	292/6	0.25.5
6.	293/2	1.03.0
7.	293/3	0.64.5
8.	294/1	1.92.5
9.	294/2	0.50.5
10.	294/3	0.49.0
11.	294/5	0.47.0
12.	295/4D	0.47.5
13.	295/5C	0.24.0
14.	295/6	1.76.5
15.	299/1	0.87.0
16.	299/2	0.32.5
17.	299/4A	0.56.0
18.	299/4B	0.35.0
19.	299/5	0.31.0
20.	296/10A	0.10.0
21.	296/10B	0.15.0
22.	296/10C	0.13.5
23.	296/10D	0.28.0
24.	298/2	1.03.0
25.	298/3	1.37.5
26.	298/4	0.11.0
27.	298/5	0.24.0
	TOTAL	16.63

[F. No. 1/55/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2009

का.आ. 390(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. फ्रन्टियर लाइफलाइन प्रा. लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु राज्य में गुम्मुडिपुंडी तालुक की एदूर ग्राम सीमा, जिला तिरूवल्लूर में जैव प्रौद्योगिकी हेतु विकसित क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1.	विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन

3.	क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नै	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	निदेशक, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
8.	सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
9.	मै. फ्रन्टियर लाइफलाइन प्रा. लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

[फा. सं. 1/55/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2009

S.O. 390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for biotechnology sector Special Economic Zone within the village limits of Edur of Gummudipundi Taluk in the District of Thirruvallur in the State of Tamil Nadu developed by M/s. Frontier Lifeline Private Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson, ex-officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member, ex-officio
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai	Member, ex-officio
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, ex-officio
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member, ex-officio
7.	Director, Tamil Nadu Industrial Guidance and Export Promotion Bureau, Government of Tamil Nadu	Member, ex-officio
8.	Secretary (Industries), Government of Tamil Nadu	Member, ex-officio
9.	Representative of M/s. Frontier Lifeline Private Limited (Developer)	Special Invitee

[F. No. 1/55/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2009

का.आ. 391(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2009 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख को मै. फ्रन्टियर लाइफलाइन प्रा. लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु राज्य में गुम्मुडिपुंडी तालुक की एदूर ग्राम सीमा, जिला तिरूवल्लूर में जैव प्रौद्योगिकी हेतु विकसित क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[एफ. 1/55/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2009

S.O. 391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 2nd day of February, 2009 as the date from which the sector Special Economic Zone for biotechnology sector within the village limits of Edur of Gummudipundi Taluk in the District of Thirruvallur in the State of Tamil Nadu proposed to be developed by M/s. Frontier Lifeline Private Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. 1/55/2008-SEZ]

ANIL MUKUM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.